न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान))

अपील संख्याः— 12/33/2018

अपीलार्थीः—	प्रत्यर्थीः—
पवन कुमार कौशिक, पता प्लॉट संख्या—7, युगुल विहार कॉलोनी राधा पब्लिक स्कूल के सामने, पोस्ट गोवर्धन जिला मथुरा,उ0प्र0 281 502	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—–:: निर्णय ::——

दिनांकः— 20—03—2018

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दिनांकः 21.08.2017 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट अलवर द्वारा सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई जाने के कारण उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 20.03.18 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 584 दिनांक 09.03.18 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि "प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी बहरोड के पत्रांकः 1214 दिनांकः 27.12.17 एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर के पत्रांकः 335 दिनांकः 02.02.18 के माध्यम से प्राप्त सूचना, पत्रांकः लो.सू.अ./विविध/2018/289 दिनांकः 12.01.18 के माध्यम से आवेदक को जरिये डाक उपलब्ध कराई जा चुकी है एवं जवाब नोटिस में अंकन किया है कि संबंधित शाखा से प्रकरण में विलम्ब से सूचना प्राप्त होने के कारण आवेदक को अधिनियम के प्रावधानानुसार सूचना अधिप्रमाणित कर निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।
6. प्रकरण में प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलक्ट्रेट अलवर द्वारा सूचना विलम्ब से भिजवाने का स्पष्टीकरण लिया जावे। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
7. प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है किन्तु लोकहित में लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट अलवर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित होकर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

जाहिर करता है कि उसे वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो पूर्व में प्रेषित सूचना की छायाप्रति कराई जाकर उपलब्ध करा दी जावे।

8. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
9. निर्णय आज दिनांक 20.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

20/03/18

(राजन विशाल)
जिला कलेक्टर,अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)